2025:सीजीएचसी:18151–डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक प्रकरण सं 335/2021

1– आकाश कोसरे पिता चंद्रहास उम्र लगभग 18 वर्ष निवासी ग्राम दैमार, थाना। पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

2– संजू वैष्णव पिता दिलेश्वर वैष्णव उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी ग्राम दैमार, थाना। पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस थाना नेवई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :––श्री बी.पी. सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी/ राज्य हेतु :–– श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार

22.04.2025

1. विद्वान अधिवक्ता श्री रोहन शर्मा ने बताया कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने अधिवक्ता बदलने के लिए आवेदन संख्या 03/2025 दायर किया है, इसलिए उन्हें इस प्रकरण में कोई निर्देश प्राप्त नहीं है।

2. अपीलकर्ता संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी. पी. सिंह ने बताया कि उन्होंने अपीलकर्ता संख्या 1 की ओर से भी अपना अधिकार पत्र दाखिल कर दिया है और वे अपीलकर्ता संख्या 1 की ओर से भी इस प्रकरण की अंतिम पैरवी करने के लिए तैयार हैं।

3. श्री बी.पी. सिंह, विद्वान अधिवक्ता को दोनों अपीलकर्ताओं की ओर से प्रकरण पर अंतिम बहस करने की अनुमति दी जाती है।

4. तदनुसार, आई.ए. संख्या 03/2025 का निराकरण किया जाता है और न्यायालय प्रकरण की अंतिम सुनवाई के लिए आगे बढ़ता है।

5. दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, 'सीआरपीसी') की धारा 374(2) के तहत दायर यह आपराधिक अपील, दुर्ग जिले (छ.ग.) के माननीय चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 87/2019 में दिनांक 24.02.2021 को पारित दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है और उन्हें निम्नलिखित तरीके से सभी दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया है:

दोषसिद्धि	दंड
भा.दं. सं. कि धारा 364/34	प्रत्येक को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।
भा.दं. सं. कि धारा 394/34	प्रत्येक को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।
भा.दं. सं. कि धारा 302/34	प्रत्येक को आजीवन कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 5 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।
भा.दं. सं. कि धारा 201/34	प्रत्येक को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।
भा.दं. सं. कि धारा 120 बी	प्रत्येक को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि 18.01.2019 को शिकायतकर्ता आनंद देवंगन ने नेवाई पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पिता हमेशा की तरह रात 8:30 बजे साइकिल से पाटन गए थे और शाम तक घर नहीं लौटे। उनका आस–पड़ोस और अस्पताल में भी पता नहीं चला। परिवादी की रिपोर्ट पर गुमशुदा

व्यक्ति रिपोर्ट संख्या 03/2019 दर्ज की गई और जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अन्वेषण के दौरान, संदिग्ध आरोपियों संजू वैष्णव, आकाश कोसारे, सूरज साहू उर्फ सुज्जू और मनीष सोरी से पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध स्वीकार किया और बताया कि उन्होंने मृतक हरिप्रसाद देवंगन की हत्या कर दी और शव को खोरपा नाला गांव के पास खेत में रखकर धान की डंडी से जला दिया।उनके ज्ञापन के अनुसार, घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया गया और मृतक हरिप्रसाद देवंगन के परिवार ने मृतक की अंगूठी से जली हुई धान की लकड़ी की राख और मानव अस्थि के जले हुए अवशेषों की पहचान की। आरोपी के ज्ञापन के आधार पर, मृतक का मोबाइल फोन, टिफिन बॉक्स, बैग और मृतक की दुकान से चोरी हुए गहने आरोपी के बताए अनुसार जब्त किए गए।

7. परिवादी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया और अन्वेषण शुरू की गई। अन्वेषण के दौरान, अपराध स्थल का नक्शा तैयार किया गया। मृत्यु की सूचना दर्ज करने के बाद शव का पंचनामा किया गया। शवपरीक्षण के बाद शव सौंप दिया गया। आरोपी का बयान दर्ज किया गया। बयान के आधार पर ज़ब्ती की कार्यवाही की गई। ज़ब्त की गई वस्तुओं को परीक्षण के लिए रायपुर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया और मृतक के पुत्र के रक्त के नमूने डीएनए परीक्षण के लिए लिए गए। गिरफ्तारी पत्र के अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साक्षीयों के बयान दर्ज करने के बाद, दुर्ग के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। 14.05.2019 को प्रकरण दुर्ग सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और विचारण के लिए न्यायालय को सौंप दिया गया। सत्र न्यायालय से प्रकरण 27.05.2019 को दुर्ग के चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपने प्रकरण के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने साक्षीयों रामकुमार सिंह (पीडब्लू–1), अनंत देवांगन (पीडब्लू–2), गौरव स्वर्णकार (पीडब्लू–3), पंचराम देवांगन (पीडब्लू–4), डोमार साहू (पीडब्लू–5), सत्यजीत रावत (पीडब्लू–6), अनिल जयसवाल (पीडब्लू–7), नीलेश तिवारी (पीडब्लू–8), चोवाराम साहू (पीडब्लू–9), रोमनाथ देवांगन (पीडब्लू–10), अनिल कुमार देवांगन (पीडब्लू–11), महावीर गेंड्रे (पीडब्लू–12), डॉ. प्रदीप कुमार चंद्राकर (पीडब्लू–13), कृष्णकुमार जयसवाल (पीडब्लू–14), अनुपमा मेश्राम (पीडब्लू–15), स्निग्धा जैन (पीडब्लू–16), राजू मंडावी (पीडब्लू–17), कुंदन लाल एएसआई (पीडब्लू–18), अमित कुमार बेरिया (पीडब्लू–(19) और शेखा मोहम्मद (पीडब्लू–20) से परीक्षण किया।

9. अभियोजन पक्ष ने विलय सूचना (एक्स पी/–1), पहचान पंचनामा (एक्स पी/–2 और एक्स पी/–3), वसूली पंचनामा (एक्स पी/–4), पहचान पंचनामा (एक्स पी/–5), दं. प्र. सं. कि धारा 175 के तहत नोटिस भी प्रस्तुत किया है। (एक्स पी/–6), जांच रिपोर्ट (एक्स पी/–7), संपत्ति ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी–8), पहचान ज्ञापन (एक्स पी–9), ज्ञापन (एक्स पी–10), नोटिस (एक्स पी–11), रोजगारमा संहा की प्रति (एक्स पी–12 सी), प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स पी/–13), अपराध विवरण प्रपत्र (एक्स पी/–14), संपत्ति ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी–15), तलाशी पंचनामा (एक्स पी–16), घटना स्थल का पंचनामा (एक्स पी–17), संपत्ति ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी–18), नोटिस (एक्स पी–19), कार तलाशी पंचनामा (एक्स पी–20), संपत्ति ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी.–21 और एक्स पी–22),साक्षी नीलेश तिवारी का पुलिस बयान (एक्स पी–23), ज्ञापन (एक्स पी–24 और एक्स पी–25), संपत्ति ज़ब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पृष्ठ–26, पृष्ठ–27 और पृष्ठ–28),साक्षी चौवाराम साहू का पुलिस बयान (प्रदर्श पृष्ठ–29), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत नोटिस (प्रदर्श पृष्ठ–30),साक्षी रोमनाथ देवांगन का पुलिस बयान (प्रदर्श पृष्ठ–31), ज्ञापन (प्रदर्श पृष्ठ–32), घटना स्थल का पंचनामा (एक्स पी–33, एक्स पी–34 और एक्स पी–35), नोटिस (एक्स पी–36), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत नोटिस (एक्स पी–33, एक्स पी–34 और एक्स पी–35), नोटिस (एक्स पी–36), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत नोटिस (एक्स पी–37), अपराध विवरण प्रपत्र (एक्स पी–38), ज्ञापन (एक्स पी–39), संपत्ति ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी–40, एक्स पी–41 और एक्स पी–42), गिरफ्तारी/न्यायालय में आत्मसमर्पण ज्ञापन (एक्स पी–43 और 44), वाहन जांच रिपोर्ट (एक्स पी–45), घटना स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट (एक्स पी–46), जांच रिपोर्ट (एक्स पी–47), पहचान कार्यवाही के लिए जारी नोटिस की पावती (एक्स पी–48), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस (एक्स पी–49), घटनास्थल का नक्शा उपलब्ध कराने के संबंध में मृतक को ज्ञापन (एक्स पी–50), घटनास्थल का नक्शा उपलब्ध कराने के संबंध में तहसीलदार को ज्ञापन (एक्स पी–51), असमय और आकस्मिक मृत्यु से संबंधित सूचनाओं का रजिस्टर (एक्स पी–52), शुल्क प्रमाणपत्र (एक्स पी–53 से एक्स पी–56), नोटिस (एक्स पी–57), संपत्ति जब्ती ज्ञापन (एक्स पी–58), गिरफ्तारी संबंधी जानकारी (एक्स पी–59 और एक्स पी–60), पोस्टमार्टम के लिए आवेदन (एक्स पी–61) को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके साथ ही, तस्वीरों को आर्टिकल ए–1 से ए–52 के रूप में और एफएसएल/डीएनए रिपोर्ट को एक्स सी–1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत चले वाद में, आरोपियों ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए और झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए बचाव में कोई साक्षी पेश नहीं किया।

11. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए, दिनांक 24.02.2021 के अपने निर्णय में अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया, जिसके खिलाफ यह दाण्डिक अपील दायर की गई है।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह ने यह तर्क दिया कि इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि गौरव स्वर्णकार (पी डब्लू –3) और सत्यजीत रावत (पी डब्लू –6) को अंतिम बार एक साथ देखे जाने के साक्षी के रूप में बताया गया है, लेकिन उन्होंने अपीलकर्ताओं और मृतक की पहचान के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने इन साक्षीयों के बयानों के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि अपीलकर्ताओं के बयानों के आधार पर मृतक से संबंधित कुछ वस्तुएं जब्त की गई हैं, लेकिन केवल इसी आधार पर अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि मान्य योग्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा कर गई है कि मृतक के शरीर की पहचान किसी भी हालत में नहीं हो पाई क्योंकि मृतक के रक्त और बालों के डीएनए परीक्षण में नकारात्मक परिणाम आया था। इसलिए यह निश्चित नहीं है कि जमीन से बरामद हड्डियां मृतक हरिप्रसाद देवांगन की ही हैं। पुलिस ने दो महत्वपूर्ण साक्षीयो, गौरव स्वर्णकार (पीडब्ल्यू–3) और सत्यजीत रावत (पीडब्ल्यू–6) से कोई पहचान नहीं करवाई है, और मेमोरेंडम साक्षी चौवाराम साहू (पीडब्ल्यू–9) और रोमनाथ देवांगन (पीडब्ल्यू–10) ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। मृतक की पहचान करने का प्रयास किया गया है तस्वीर की सहायता से, लेकिन यह सुसंगत नहीं है। न्यायालय में प्रस्तुत तथ्य पूरी तरह से भिन्न हैं, इसलिए इस पहलू पर अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती। जहाँ तक अंतिम बार साथ देखे जाने की बात है,अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि मृतक कोअपीलकर्ता के साथ पाया गया था।अपराध में प्रयुक्त वाहन के संबंध में, एक साक्षी नीलेश तिवारी (पीडब्ल्यू–8) का कथन लिया गया, लेकिन नीलेश तिवारी के कथन विश्वसनीय नहीं है। यह स्वीकार करने के बावजूद कि घटना दिनांक संबंधित वाहन नीलेश तिवारी के कब्जे में था, और इसके अलावा वाहन का मालिक नीलेश तिवारी या उसकी माता या के.डी. तिवारी के नाम पर नहीं है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और वाहन का रंग भी पूरी तरह से अलग था, जैसा कि साक्षीयों ने न्यायालय में दावा किया है, इस पहलू पर अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है। जहां तक अंतिम बार साथ देखे जाने का प्रश्न है, इस बात का कोई अभिलेख नहीं है कि मृतक अपीलकर्ता के साथ पाया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब्ती भी साक्षीयों द्वारा समर्थित नहीं थी और दोषसिद्धि केवल अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य पर आधारित है जो विधि के अनुसार नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत लिया गया ज्ञापन बयान अपराध की स्वीकारोक्ति के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

13. श्री सिंह ने तर्क दिया कि पुलिस ने अपीलकर्ताओं को चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार किया और उसके बाद एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि उन्होंने मृतक की हत्या कर दी और फिर धान की लाठी से उसे जला दिया। इसके बाद वे मृतक की दुकान पर गए और वहां से सोने–चांदी के कृत्रिम आभूषण चुरा लिए। मृतक के परिजनों ने विधिक प्रक्रिया अर्थात साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अनुसार आभूषणों की पहचान नहीं की थी और पुलिस ने मृतक की उचित पहचान किए बिना ही उनकी पहचान कर ली। ज्ञापन जारी होने से पहले ही आभूषण मिल चुके थे और दफनाने का स्थान भी पुलिस अधिकारियों को ज्ञात था। इस प्रकार, ज्ञापन का महत्व समाप्त हो गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस साक्ष्य भी एकत्र नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों पर ठीक से विचार नहीं किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसा कोई विश्वसनीय या पुख्ता सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलकर्ताओं ने मृतक का अपहरण किया और हत्या की। हत्या का कोई उद्देश्य भी सिद्ध नहीं हुआ है। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह आदेश पारित किया है, जिससे हत्या का उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्य कमजोर हैं और साक्षीयों के बयानों में कई विरोधाभास और कमियां पाई गई हैं, जिन पर विचारण न्यायालय ने उचित ढंग से विचार नहीं किया। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दोषसिद्धि और दंड का निर्णय अवैध है। अतः, दोषसिद्धि का निर्णय तथा दिया गया दंड को अपास्त किये जाने योग्य है।

14. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर ने उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए कहा कि वे अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के बयान के आधार पर न केवल मृतक के आभूषण बरामद किए गए हैं, बल्कि उक्त बयान के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आधार पर मृतक की हड्डियाँ, मृतक का एक जला हुआ टिफिन, एक चाबी और एक कलाई घड़ी भी जब्त की गई है। इसके अलावा, नीलेश तिवारी (पी डब्लू–8) के बयान का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, मृतक एक वृद्ध व्यक्ति था और अपीलकर्ताओं द्वारा उसका अपहरण कर उसे वाहन में ले जाया गया था, जिसका पंजीकरण नंबर CG 04 LJ 9533 है और जो नीलेश तिवारी (पी डब्लू–8) का है। नीलेश तिवारी के बयान के अनुसार, वाहन को अपीलकर्ता सं 2/संजू वैष्णव द्वारा ले जाया गया था और उक्त वाहन से एक वृद्ध व्यक्ति के बाल जब्त किए गए हैं, जिसका दस्तावेजीकरण ज्ञापन एक्स पी/–22 में किया गया है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के पास अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध किए जाने का प्रमाण है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है और अभियुक्तों को दोषी पाया है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को सही ठहराया है और इसलिए, अपील खारिज किए जाने योग्य है।

15. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुना, उनके उपरोक्त तर्कों पर विचार किया और अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. विचारणीय पहला प्रश्न यह होगा कि क्या हरिप्रसाद देवांगन की मृत्यु हो गई है और यदि हाँ, तो उनकी मृत्यु का स्वरूप क्या है? साक्षी अनंत देवांगन (पीडब्ल्यू–2), पंचराम देवांगन (पीडब्ल्यू–4) और अनिल कुमार देवांगन (पीडब्ल्यू–11) ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में कहा है कि वे हरिप्रसाद को जानते थे और उनकी मृत्यु हो गई है।

17. हरिप्रसाद की मृत्यु के संबंध में, डोमर साहू (पीडब्ल्यू–5) ने अपने कथन में बताया कि 18.01.2019 को रात 11:50 बजे परिवादी आनंद देवंगन पुलिस थाना आया और बताया कि उसके पिता हरिप्रसाद देवंगन पाटन की दुकान से नहीं लौटे हैं। उसने आस–पास के अस्पतालों और रिश्तेदारों में खोजबीन की। उसके पिता अक्सर एक नोकिया मोबाइल, सोने–चांदी के आभूषण और दुकान से पैसे लेकर आते थे। उसने परिवादी से पूछताछ की और गुमशुदा व्यक्ति का प्रकरण संख्या 3/19 दर्ज कर कार्यवाही की। उसने इसे एक्स पी 12 की डायरी प्रविष्टि संख्या 52, पृष्ठ संख्या 85 और उसके कुछ पृष्ठों में दर्ज किया। 19.01.2019 को अन्वेषण के दौरान सूचना मिली कि हरिप्रसाद देवांगन की पाटन स्थित दुकान का शटर खुला हुआ है और वहां से सामान चोरी हो गया है। हरिप्रसाद देवांगन की साइकिल रिसाली सेक्टर में क्षतिग्रस्त हालत में मिली। अपहरण के संदेह में आनंद देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने नेवाई पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत

अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स पी 12) दर्ज कराई, जिसका अपराध संख्या 21/2019 है। साक्षी ने एक्स पी 12 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं।

18. साक्षी आनंद देवांगन (पीडब्ल्यू–2) ने अपने बयान में कहा है कि मृतक हरिप्रसाद उनके पिता थे। उनके पिता की पाटन में कृष्णा ज्वैलर्स नाम की दुकान थी और उनका निवास रिसाली में था। उनके पिता सुबह लगभग 8:30 बजे पाटन स्थित दुकान पर पहुंचते थे। वे साइकिल से जाते थे और रात 8–8:30 बजे तक लौट आते थे। साक्षी ने बताया कि 18.01.2019 की रात उनके पिता पाटन से नहीं लौटे, तब उन्होंने उनके मोबाइल नंबर पर कॉल किया। मोबाइल बंद था। उसने अपने भाई सतीश और तरुण तथा परिवार के अन्य सदस्यों को बताया कि उसके पिता घर नहीं आए हैं। जब वे उस स्थान पर गए जहाँ उसके पिता प्रतिदिन रिसाली से साइकिल से जाते थे और टंकी मारोड़ा में साइकिल खड़ी करके बस से पाटन जाते थे, और शाम को पाटन से टंकी मारोड़ा बस से लौटते थे और फिर साइकिल से घर आते थे, तो उन्हें पता चला कि घटना वाले दिन रात को जब उसके पिता घर नहीं आए, तो वे उस स्थान पर गए जहाँ उसके पिता साइकिल रखते थे। वहाँ उन्हें पता चला कि उसके पिता साइकिल लेकर चले गए हैं। जब उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो वे नेवाई पुलिस थाना गए और गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अभियोजन पक्ष के प्रकरण में कोई शव बरामद नहीं हुआ है। इस मामले में कहा गया है कि जले हुए धान के गड्ढों से हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए हैं और उसी के आधार पर, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को जोड़ते हुए, आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। मृतक हरिप्रसाद का शव बरामद नहीं हुआ है, जिसके कारण उनकी मृत्यु के संबंध में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इस प्रकरण में, सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या हरिप्रसाद की मृत्यु हुई है। यदि हां, तो क्या उनकी हत्या की गई है और क्या उनकी हत्या आरोपी द्वारा अपहरण और लूट के आशय से की गई है?

20. अभियोजन पक्ष का प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि जहां कोई प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिका हो, वहां दोष सिद्ध करना तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषी ठहराने वाले तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के दोष सिद्ध होने के विपरीत हों।(**देखें हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1977 एससी 1063; एराडू और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य, एआईआर 1956 एससी 316; एराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर 1983 एससी 446; एआईआर 1989 एससी**

1890)। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि वे उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। **भगत राम बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1954 एससी 621 में**, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जहां प्रकरण परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहां परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता को नकार दिया जाए और अपराध को किसी भी संदेह से परे सिद्ध किया जाए।

21. हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **सी. चेंग रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1996) 10 एससीसी 193** के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है:

"परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित किसी मामले में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध किया जाता है, वे पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्यों की श्रृंखला में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल आरोपी के दोष सिद्ध होने की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए...।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. **पडला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, एआईआर 1990 एससी 79** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिए:––

"1) जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध करने का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें ठोस और दृढ़ रूप से स्थापित किया जाना चाहिए;

2) वे परिस्थितियाँ निश्चित रूप से आरोपी के दोष की ओर इंगित करती होनी चाहिए;

3) सभी परिस्थितियाँ मिलकर एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से बचने का कोई रास्ता न हो कि सभी मानवीय संभावनाओं के आधार पर अपराध आरोपी द्वारा ही किया गया था, किसी और द्वारा नहीं; और

4) दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और आरोपी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल आरोपी के अपराध के साथ संगत होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।

23. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, 1992 क्रिमिनल लॉ जज 1104 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए और यदि साक्ष्य से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो आरोपी के पक्ष में निकलने वाले निष्कर्ष को ही स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्यों का समग्र प्रभाव केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

24. सर अल्फ्रेड विल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक "विल्स का परिस्थितिजन्य साक्ष्य" (अध्याय VI) में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में विशेष रूप से पालन किए जाने वाले निम्नलिखित नियम निर्धारित किए हैं:

(1) किसी भी विधिक निष्कर्ष के आधार के रूप में बताए गए तथ्यों को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए और उचित संदेह से परे उस तथ्य से जुड़ा होना चाहिए जिसका प्रमाण दिया जा रहा है;

(2) किसी भी ऐसे तथ्य के अस्तित्व का दावा करने वाले पक्ष पर ही प्रमाण का भार होता है, जिससे कानूनी जवाबदेही का अनुमान लगाया जा सके;

(3) सभी मामलों में, चाहे प्रत्यक्ष साक्ष्य हो या परिस्थितिजन्य साक्ष्य, मामले की प्रकृति के अनुसार सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए;

(4) अपराध के निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए, दोषी ठहराने वाले तथ्य आरोपी की निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए और उसके अपराध के अलावा किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए;

(5) यदि आरोपी के अपराध के बारे में कोई उचित संदेह हो, तो उसे बरी होने का अधिकार है।

25. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले के पंचशील का गठन करने वाले पाँच स्वर्णिम सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116** के प्रकरण में प्रतिपादित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:–

"1) जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध किया जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ "अवश्य" या "होनी चाहिए" न कि "हो सकती हैं";

2) इस प्रकार सिद्ध तथ्य केवल अभियुक्त के दोष सिद्ध होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभव परिकल्पना को खारिज कर देना चाहिए; और

5) साक्ष्यों की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जिससे आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने का कोई उचित आधार न बचे और यह प्रदर्शित करना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं के आधार पर यह कृत्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा।"

26. **त्रिमुख मारोती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 1 एससीसी 681** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"12. इस मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में सामान्य सिद्धांत यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाना है, वे ठोस और दृढ़ रूप से स्थापित होनी चाहिए; कि वे परिस्थितियाँ निश्चित रूप से आरोपी के अपराध की ओर इंगित करती हों; कि सभी परिस्थितियाँ मिलकर एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनाएँ कि इस निष्कर्ष से बचना संभव न हो कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और वे आरोपी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या करने में असमर्थ हों और उसकी निर्दोषता के विपरीत हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांतों को **निज़ाम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, (2016) 1 एससीसी 550** में दोहराया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:–

8. अभियोजन पक्ष का प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में, स्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध किया जाता है, वे पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए, एक श्रृंखला बनानी चाहिए और साक्ष्यों की श्रृंखला में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल आरोपी के दोष सिद्ध होने की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए, जो उसकी निर्दोषता के बिल्कुल विपरीत हो।

28. इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने आरोपी के विरुद्ध निम्नलिखित परिस्थितियाँ प्रस्तुत कीं:

1. एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से मृतक की मृत्यु की पुष्टि,

2. आरोपी के ज्ञापन के आधार पर मृतक की साइकिल, उसका सामान, उसकी जली हुई हड्डियाँ और उसकी दुकान से लूटे गए आभूषणों की ज़ब्ती,

3. ज्ञापन के आधार पर ज़ब्त की गई वस्तुओं की पहचान,

4. अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य।

29. अब यदि अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए हालातों पर विचार किया जाए, तो जांच अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पी डब्लू–19) ने अपने बयान में कहा है कि 18.01.2019 को जब परिवादी आनंद देवांगन ने नेवाई पुलिस थाना में अपने पिता हरिप्रसाद देवांगन के लापता होने की सूचना दी, तो नेवाई पुलिस थाना की डायरी संख्या 52 में गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की गई और गुमशुदा व्यक्ति की एफआईआर संख्या 3/2019 दर्ज की गई। जब खोज के दौरान गुमशुदा व्यक्ति नहीं मिला और परिवादी आनंद देवांगन के अनुसार अपहरण का संदेह हुआ, तो 20.01.2019 को नेवाई पुलिस थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 365 के तहत अपराध संख्या 21/2019 दर्ज की गई। इसकी अन्वेषण और गुमशुदा व्यक्ति की जांच पुलिस थाना के उप निरीक्षक डोमर साहू द्वारा की जा रही थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पी डब्लू–19) ने अपनी गवाही में आगे बताया कि नेवाई पुलिस थाना में दर्ज अपराध संख्या की जांच के दौरान, पुलिस थाना को सूचना मिली कि उताई रोड स्थित शराब की भट्टी में एक टूटा हुआ मोबाइल सिम मिला है। जब वे मौके पर गए और टूटे हुए सिम की तलाश की, तो उन्हें वह नहीं मिला। उन्होंने इस संबंध में तलाशी पंचनामा (एक्स पी/ –16) तैयार किया था। उन्होंने गवाह अमित कुमार यादव के बयान के अनुसार मिले मोबाइल के संबंध में मौके का पंचनामा (एक्स पी/ –17) तैयार किया था। साक्षी ने (एक्स पी/ –17) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। उन्होंने कचरा फेंकने की जगह पर कूड़ेदान में मिली एक सील और अनिल जायसवाल के बयान पर एक मोबाइल (एक्स पी/ –18) जब्त किया था।

31. अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पी डब्लू–19) ने अपनी अन्वेषण में आगे बताया कि जांच के दौरान तलाशी लेते समय पुलिस थाना को सूचना मिली कि पाटन में चोरी हुई है, जिसमें कुछ संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ संदिग्धों ने लापता हरिप्रसाद देवांगन की दुकान में भी चोरी की है। उपरोक्त सूचना के आधार पर, उन्होंने मृतक के पुत्र अनिल कुमार देवांगन को कार्यवाही में सहयोग करने के लिए नोटिस (एक्स पी/–36) जारी किया था। उन्होंने साक्षी हरिलाल तिवारी और पंचराम साहू को भी कार्यवाही में शामिल

होने के लिए नोटिस जारी किया था। उन्होंने साक्षी होरीलाल तिवारी और पंचराम साहू को भी नोटिस जारी किया था कि वे नेवाई पुलिस थाना के कर्मचारियों के साथ पाटन गांव पहुंचें और संदिग्धों से पूछताछ करें।

32. मृतक के पुत्र अनंत देवांगन (पी डब्लू 2) ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पिता हरिप्रसाद प्रतिदिन रिसाली स्थित अपने घर से साइकिल से टंकी मारोदा जाते थे, और वहां साइकिल रखकर बस से पाटन जाते थे। इसके बाद वे रात में बस से मारोदा लौटते थे और फिर साइकिल से वापस रिसाली आते थे। अनिल कुमार देवांगन (पी डब्लू 11) ने भी इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके पिता हरिप्रसाद देवांगन की पाटन में कृष्णा ज्वैलर्स के नाम से सोने–चांदी की दुकान थी। उनके पिता रिसाली में रहते थे, जहां से वे प्रतिदिन साइकिल से मारोदा जाते थे और अपनी साइकिल सीताराम साइकिल शॉप के मालिक के पास रखकर बस से पाटन जाते थे। शाम को लौटते समय वे साइकिल लेकर घर आते थे। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष यह बात भी निर्विवाद रही है कि 18.01.2010 को जब उनके पिता वापस नहीं लौटे, तो उनकी तलाश करने के बाद वे नेवाई पुलिस स्टेशन गए और गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. साक्षी अनंत देवांगन (पीडब्ल्यू–2) और अनिल देवांगन (पीडब्ल्यू–11) ने भी कहा है कि दूसरे दिन, 19 दिनांक को, उन्हें पाटन से फोन पर सूचना मिली कि पाटन में उनके पिता की सोने और चांदी की दुकान का चैनल गेट और शटर आधा खुला था और सामान बिखरा हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान में रखा सामान बिखरा पड़ा था और चोरी हो गई थी। साक्षी ने यह भी बताया कि उन्होंने घटना की सूचना पाटन पुलिस थाना को दी और पाटन पुलिस थाना ने चोरी की अन्वेषण प्रारम्भ कर दी।

34. इस बिंदु पर अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पीडब्ल्यू–19) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अन्वेषण के दौरान उन्हें पता चला कि पाटन में चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार संदिग्धों में से कुछ ने हरि प्रसाद देवांगन की दुकान में भी चोरी की थी, जिसके बाद उन्होंने साक्षीयों के सामने उन आरोपियों से पूछताछ की।

35. अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (गवाह–19) ने अपने कथन में आगे बताया कि 06.02.2019 को सुबह लगभग 11.00 बजे एसडीओपी कार्यालय पाटन में उन्होंने साक्षीयो अनिल कुमार देवांगन और पंचराम देवांगन की उपस्थिति में आरोपी संजू वैष्णव से घटना के संबंध में पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान, आरोपी संजू ने घटना के बारे में जानकारी दी और हरिप्रसाद देवांगन की हत्या और शव जलाने की बात बताई। शव जलाने के बाद, वे मृतक कृष्णा ज्वैलर्स पाटन की दुकान पर गए और चांदी के सामान चुरा लिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने चोरी के सामान का आधा हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी आधा आरोपी आकाश कोसारे को

दे दिया और उसे बरामद करवा लिया। पूछताछ के दौरान, उन्होंने बताया कि मृतक के बैग से बरामद 30,000 रुपये में से 5000 रुपये प्रत्येक को देने थे और 15000 रुपये उनके हिस्से के थे और चोरी का सामान रायपुर के मुनीर खान को देना था। फिर, जैसा कि आरोपी ने बताया, उसका ज्ञापन बयान एक्स पी/ 10 साक्षीयों के सामने दर्ज किया गया।

36. अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पी डब्लू–19) ने अपने बयान में आगे कहा है कि जांच के दौरान उन्होंने एसडीओपी कार्यालय, पाटन में ही साक्षी के सामने आरोपी आकाश कोसारे से पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान आरोपी आकाश कोसारे ने मृतक हरिप्रसाद देवांगन के अपहरण और हत्या के बारे में जानकारी दी और बताया कि उसने मृतक के कृष्णा ज्वैलर्स से चुराए गए चांदी के गहनों को आधा–आधा बांट दिया था, मृतक का मोबाइल उताई देसी शराब की भट्टी के सामने रख दिया था, मृतक की दुकान की चाबियां तालाब में फेंक दी थीं और घटना के समय दैमर नहर रोड के पास एक गड्ढा खोदकर मृतक की दुकान के गहनों को पत्थर से दबाकर बरामद करवाया था। आरोपी के बताए अनुसार, उन्होंने साक्षीयों के सामने आरोपी का ज्ञापन बयान (एक्स पी/–32) दर्ज किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पी डब्लू–19) ने अपने कथन में आगे बताया कि उन्होंने एसडीओपी कार्यालय में ही दो अन्य नाबालिग आरोपियों मनीष ठाकुर और सज्जू उर्फ सूरज साहू के बयान दर्ज किए थे। इसके बाद, वे पुलिसकर्मियों, साक्षीयों और आरोपियों के साथ खोरपा गांव गए और कौशलराव के खेत का दौरा किया। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और फोटोग्राफर उनके साथ खोरमा गांव में घटना स्थल पर गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि धान की गठरी जलकर राख हो चुकी थी। ऊपरी सतह पर हड्डियों के कुछ टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे। मृतक के शरीर के विभिन्न भागों के अस्थि अवशेष, जली हुई धान की राख जिसमें अस्थियाँ मिली हुई थीं, और मृतक की तीन अंगूठियाँ जो उसके हाथ में थीं, वहाँ से प्राप्त हुईं। उसने यह भी बताया कि तीन जले हुए टिफिन बॉक्स, मृतक की कलाई घड़ी, मृतक के थैले का जला हुआ बकल और आधा जला हुआ दवा का डिब्बा उस स्थान से प्राप्त हुआ। मृतक के परिवारवालों ने अंगूठियों की पहचान करते हुए कहा कि वे मृतक की थीं। जिसके आधार पर उन्होंने मौके पर ही पहचान पंचनामा (एक्स पी–3) तैयार किया। साक्षी ने यह भी बताया कि मृतक के परिवारवालों ने तीन जले हुए टिफिन बॉक्स, मृतक की कलाई घड़ी, मृतक के थैले का जला हुआ बकल और आधा जला हुआ दवा का डिब्बा पहचान कर बताया कि वे मृतक हरिप्रसाद देवांगन के थे।इस साक्षी ने पहचान पंचनामा (एक्स पी–4) पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। घटनास्थल पर

राख मिलने पर उसने उसे मौके पर ही जब्त कर लिया और साक्षी की उपस्थिति में उसे सीलबंद करके पैक कर दिया। उसने घटनास्थल पर साक्षी की उपस्थिति में पंचनामा (एक्स पी–33) तैयार किया।

38. अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पी डब्लू–19) ने अपनी गवाही में कहा है कि आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वह सभी साक्षीयो, अधिकारियों और आरोपियों के साथ मटिया खेत रोड पहुंचे थे, जहां सभी आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने जली हुई धान की लकड़ी को हटाया था और परिवार के सदस्यों ने स्वयं राख को हटा दिया था और जली हुई वस्तुएं मिली थीं, जिन्हें परिवार के सदस्यों ने हरिप्रसाद का सामान बताया था, जिसमें मृतक हरिप्रसाद के तीन जले हुए टिफिन बॉक्स, मृतक द्वारा पहनी गई जली हुई कलाई घड़ी, मृतक के पैर का एक जला हुआ बकल और आधा जला हुआ दवा का डिब्बा शामिल था। मृतक के परिवारवालों ने उपरोक्त वस्तुओं की पहचान की और बताया कि ये हरिप्रसाद देवांगन की थीं। उन्होंने घटनास्थल पर ही पहचान पंचनामा (एक्स पी 4) तैयार किया था। साक्षी ने एक्स पी 4 पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद उन्होंने उक्त वस्तुओं से संबंधित घटनास्थल पंचनामा (एक्स पी 34) तैयार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पी डब्लू–19) ने अपने कथन में बताया कि अन्वेषण के दौरान, आरोपी द्वारा दिए गए ज्ञापन बयानों के आधार पर, वह अपने कर्मचारियों, वरिष्ठ अधिकारियों,साक्षीयो और आरोपी के साथ गांव दैमर के नहर मार्ग पर गए। आरोपी द्वारा बताए गए स्थान पर पत्थर हटाने के बाद, काले रंग का कपड़ा बंधा हुआ मिला। उसे खोलने पर, 8 सोने की चूड़ियाँ, 5 सोने की बालियाँ, 10 सोने की अंगूठियाँ, 3 काले गुनिया की मालाएँ (जिनमें दो टूटे हुए हार भी शामिल थे), चार बत्ती वाला मंगलसूत्र, कृत्रिम आभूषण के दो लॉकेट, 30 चांदी की अंगूठियाँ और 80 पैर की अंगूठियाँ मिलीं। उन्होंने घटनास्थल से प्राप्त आभूषणों की पहचान के संबंध में पहचान पंचनामा (एक्स पी–5) तैयार किया था। उन्होंने इस संबंध में पंचनामा (एक्स पी–35) भी तैयार किया था।

40. अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पी डब्लू–19) ने अपने कथन में बताया है कि 06.02.2019 को दोपहर 2:30 बजे उन्होंने मृतक हरिप्रसाद देवांगन के शरीर के विभिन्न अंगों की हड्डियों के अवशेष, जली हुई धान की राख, दो अंगूठियां और मृतक हरिप्रसाद देवांगन की एक अंगूठी को घटनास्थल से जब्त कर सील कर दिया था।यह कार्यवाही खोरपा कौशलराव के खेत कोठारीहार से की गई थी, जिसमें साक्षी मौजूद थे।साक्षी ने आगे बताया कि उसी दिन दोपहर 3:30 बजे, एक चीज जो काले कपड़े में बंधी हुई थी और पत्थर से दबाई गई थी, उसे आरोपी आकाश कोसारे से गांव दैमर में साक्षीयों के सामने बरामद किया गया था।आरोपी द्वारा बताए जाने

पर, उन्होंने इसे जब्त कर लिया था, जिसमें जब्ती ज्ञापन एक्स पी–41 दर्ज है। उन्होंने 8 सोने के रंग की कृत्रिम चूड़ियाँ, 5 जोड़ी झुमके, 2 जोड़ी बालियाँ, 10 अंगूठियाँ, 2 तीन लड़ियों वाली चूड़ियाँ, 2 छोटे हार, 5 कलागुनिया मालाएँ जिनमें 5 लॉकेट और मंगलसूत्र लॉकेट थे, 30 नारा की चांदी की अंगूठी, और विभिन्न रंगों की अंगूठियाँ जब्त कीं और जब्ती ज्ञापन एक्स पी 41 तैयार किया।

41. अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पी डब्लू–19) ने अपने कथन में कहा है कि उन्होंने कांस्टेबल संतोष कुमार को पाटन के सरकारी अस्पताल में प्रधान मंत्री बनाने के लिए नोटिस दिया था। उन्होंने कांस्टेबल युवराज को रायपुर मेडिकल कॉलेज में जब्त किए गए अवशेषों या हड्डियों को जमा करने के लिए कार्य प्रमाण पत्र (एक्स पी–54) जारी किया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार, कांस्टेबल युवराज बंधे को रायपुर मेडिकल कॉलेज का बेडहेड टिकट प्राप्त करने के लिए कार्य प्रमाण पत्र (एक्स पी–.55) जारी किया गया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पी डब्लू–19) ने अपनी जाँच में बताया है कि साक्षी अनिल कुमार देवांगन को घटना के संबंध में पूछताछ के लिए नोटिस एक्स पी–37 जारी किया गया था। साक्षी ने बताया है कि उसने उक्त नोटिस एक्स पी–37 पर हस्ताक्षर किए हैं। उसने 06.02.2019 को 16.00 बजे, घटना स्थल पर साक्षी अनिल देवांगन की मौजूदगी में, घटना स्थल का एक नक्शा तैयार किया था। जिसमें स्थान 'ए ' सोनपुर नाले के पास कौशलराव का खेत है, जहाँ हरिप्रसाद देवांगन की हत्या की गई थी और धान के पुआल में जला दिया गया था; और 'ए ' से लगभग 250 मीटर दक्षिण में 'B' मुख्य सड़क है। उक्त घटना स्थल को लाल रंग से 'ए ' के रूप में चिह्नित किया गया है। 'पी', जिसे लाल रंग से चिह्नित किया गया है, पाटन से तर्रीघाट जाने वाली सड़क है। 'सी', जिसे लाल रंग से चिह्नित किया गया है, सोनपुर नाला है और यह 'ए ' से लगभग 200 मीटर दक्षिण–पूर्व में स्थित है। 'बी', जिसे लाल रंग से चिह्नित किया गया है, कोठारीखार है जहाँ खेती की जाती है। उक्त 'अपराध विवरण प्रपत्र एक्स पी. 38 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने तलाशी पंचनामा एक्स पी. 20 तैयार किया था।

43. अन्वेषण अधिकारी के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि जब अन्वेषण अधिकारी को सूचना मिली कि पाटन में हरिप्रसाद की आभूषण की दुकान में हुई चोरी के संबंध में कुछ ज्ञात लापता व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने उन संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान, उन्होंने आरोपियों के ज्ञापन संबंधी बयान दर्ज किए।

44. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत लिया गया ज्ञापन बयान अपराध की स्वीकारोक्ति के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, यह पूरी तरह से सही है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि आरोपी के बयान में उसके ऐसे पृथक ज्ञान का खुलासा होना चाहिए जो उक्त अपराध के घटित होने से संबंधित हो और ऐसा खुलासा आरोपी के पृथक ज्ञान से किया गया है।

45. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महबूब अली और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2016) 14 एससीसी 640** के मामले में यह टिप्पणी की है कि सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए साजिश के आरोप को साबित करने हेतु अन्य आरोपी व्यक्तियों के संबंध में धारा 27 के तहत तथ्यों की खोज स्वीकार्य होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कंडिका 16, 17 और 18 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:--

"16. इस न्यायालय ने स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600 में धारा 27 में निर्दिष्ट तथ्य की खोज के प्रश्न पर विचार किया है। इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों पर विचार किया है और पुलुकुरी कोट्टायहा बनाम किंग सम्राट एआईआर 1947 पीसी 67 के निर्णय की व्याख्या करते हुए कहा है (नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600, एससीसी पृष्ठ 704, कंडिका 125–27)

125. हमारा मत है कि कोट्टाया मामला [**AIR 1947 PC** 67] इस बात का प्रमाण है कि "तथ्य की खोज" को प्रस्तुत या प्राप्त वस्तु के समतुल्य नहीं माना जा सकता। यह उससे कहीं अधिक है। तथ्य की खोज इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना से किसी विशेष स्थान पर उसके अस्तित्व के संबंध में सूचनादाता के ज्ञान या मानसिक जागरूकता का पता चलता है।

126. अब हम इस न्यायालय के उन पूर्व निर्णयों पर ध्यान देते हैं जिन्होंने कोट्टाया मामले का अनुसरण किया। कोट्टाया मामले के निर्णय का सार, जो ऊपर उद्धृत रेखांकित अंश में परिलक्षित होता है, इस न्यायालय के कई निर्णयों में उजागर किया गया है।

127. कोट्टाया मामले में दिए गए निर्णय का सार इस न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम दामू (2000) 6 एससीसी 269 में स्पष्ट किया गया था। थॉमस जे. ने टिप्पणी की कि: (एससीसी पृष्ठ 283, कंडिका 35)

'35 ... पुलुकुरी कोट्टाया बनाम किंग सम्राट एआईआर 1947 पीसी 67 में प्रिवी काउंसिल का निर्णय इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकारी है कि धारा में परिकल्पित 'खोजे गए तथ्य' में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु प्रस्तुत की गई थी, इसके बारे में आरोपी का ज्ञान, लेकिन दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से उस आशय से संबंधित होनी चाहिए।'

मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य (1976) 1 **SCC** 828 के मामले में, न्यायमूर्ति सरकारिया ने यह स्पष्ट करते हुए कि धारा 27 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "तथ्य की खोज" (**fact discovered**) केवल किसी ऐसे भौतिक या मूर्त तथ्य तक सीमित नहीं है जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, बल्कि इसमें एक मानसिक तथ्य भी शामिल है, पुलुकुरी कोट्टाया मामले (**AIR 1947 PC** 67) में निर्धारित सिद्धांत का सार प्रस्तुत करते हुए इस अभिव्यक्ति का अर्थ समझाया। विद्वान न्यायाधीश ने, पीठ की ओर से बोलते हुए, इस प्रकार टिप्पणी की: **(SCC** पृष्ठ 832, कंडिका 13)

'13... अब यह बात काफी हद तक स्थापित हो चुकी है कि अभिव्यक्ति 'तथ्य की खोज' में न केवल वह भौतिक वस्तु शामिल है जिसे प्रस्तुत किया गया है, बल्कि वह स्थान भी शामिल है जहाँ से उसे प्राप्त किया गया है, और साथ ही इस संबंध में अभियुक्त को प्राप्त जानकारी भी इसमें शामिल है (देखें: पुलुकुरी कोट्टाया बनाम किंग एम्परर **AIR 1947 PC 67;** उदय भान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[1962 Supp (2) SCR 830])**।"

17. महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू (**AIR 2000 SC** 1691) मामले में, आरोपी द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि बच्चे के शव को एक विशेष स्थान तक ले जाया गया था और उस स्थान से बरामद कांच का टूटा हुआ टुकड़ा सह–आरोपी की मोटरसाइकिल के टेल लैंप का हिस्सा पाया गया था, जिसका कथित तौर पर उक्त उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था। यह बयान, जिसके आधार पर यह तथ्य सामने आया कि आरोपी शव को एक विशेष मोटरसाइकिल से उक्त स्थान तक ले गया था, साक्ष्य में स्वीकार्य होगा। इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा है: **(SCC** पृष्ठ 282–283, कंडिका 35–38)

35. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में निहित मूल विचार,परिवर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है।यह सिद्धांत इस पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त किसी सूचना के आधार पर की गई तलाशी में कोई तथ्य खोजा जाता है,तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा दी गई सूचना सत्य है।सूचना स्वीकारोक्तिपूर्ण या गैर–दोषसिद्धिकारी प्रकृति की हो सकती है, लेकिन यदि इसके परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज होती है, तो यह एक विश्वसनीय सूचना बन जाती है। अतः विधायिका ने ऐसी जानकारी को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी, लेकिन स्वीकार्य भाग को न्यूनतम तक सीमित कर दिया। यह सर्वविदित है कि किसी वस्तु की बरामदगी, धारा में परिकल्पित तथ्य की खोज नहीं है। पुलुकुरी कोट्टाया बनाम सम्राट **(AIR 1947 PC** 67) मामले में प्रिवी काउंसिल का निर्णय इस व्याख्या का समर्थन करने वाला सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकार है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा में परिकल्पित "खोजे गए तथ्य" में वह स्थान शामिल है जहाँ से वस्तु प्राप्त की गई थी, और इसके संबंध में आरोपी का ज्ञान भी शामिल है, लेकिन दी गई जानकारी का इससे स्पष्ट संबंध होना चाहिए।

36. इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाने वाली जानकारी उस भाग तक ही सीमित है जो "स्पष्ट रूप से उस तथ्य से संबंधित है जिसका पता चला है"। लेकिन स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए जानकारी को इतना छोटा नहीं किया जाना चाहिए कि वह निरर्थक या अस्पष्ट हो जाए। स्वीकार की गई जानकारी की सीमा समझने योग्य होनी चाहिए। इस मामले में, पी डब्लू 44 द्वारा पता लगाया गया तथ्य यह है कि ए–3 मुर्किंदा थोरात दीपक के शव को मोटरसाइकिल पर घटनास्थल तक ले गया था।

37. उस विशेष सूचना से तथ्य का पता कैसे चला? इसमें कोई संदेह नहीं कि दीपक का शव उसी नहर से बरामद होना, पी डब्लू 44 द्वारा प्राप्त सूचना से पहले हुआ था। यदि आरोपी से सूचना प्राप्त होने के बाद और कुछ बरामद नहीं होता, तो किसी भी तथ्य का पता नहीं चलता। लेकिन जब उस स्थान से कांच का टूटा हुआ टुकड़ा बरामद हुआ और वह टुकड़ा ए–2 गुरुजी की मोटरसाइकिल के टेल लैंप का हिस्सा पाया गया, तो यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि अन्वेषण अधिकारी को यह तथ्य पता चला कि ए–2 गुरुजी शव को उसी मोटरसाइकिल पर उस स्थान तक ले गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. तथ्यों की उक्त खोज को देखते हुए, हम यह मानने की ओर प्रवृत्त हैं कि ए–2 गुरुजी द्वारा धारा 27 के तहत दी गई यह जानकारी कि दीपक का शव एक मोटरसाइकिल पर रखकर एक विशेष स्थान तक ले जाया गया था, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। इसलिए, वह जानकारी अभियोजन पक्ष के मामले को उपर्युक्त सीमा तक सिद्ध करती है।

18. इस्माइल बनाम सम्राट (**AIR** 1946 सिंध 43) मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां आरोपी द्वारा दी गई सूचना के परिणामस्वरूप पुलिस को एक अन्य सह–आरोपी मिल जाता है, वहां सह–आरोपी के ठिकाने के संबंध में आरोपी द्वारा पुलिस को दिया गया बयान धारा 27 के तहत आरोपी के खिलाफ साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य माना जाता है।

46. अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया (पी डब्लू –19) ने अपनी गवाही में आगे बताया कि ज्ञापन के आधार पर गवाह आरोपी के साथ खोरपा गांव में कौशल राव के खेत में गए थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि खेत में चारा जलकर राख हो गया था। ऊपरी सतह पर हड्डियों के कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे थे। मृतक द्वारा उंगलियों में पहनी जाने वाली तीन अंगूठियां चारे में मिलीं।

47. अनंत कुमार देवांगन (पीडब्ल्यू–02), ज्ञापन और जब्ती के साक्षी ने अपने कथन में, अन्वेषण अधिकारी के ज्ञापन और जब्ती की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए कहा कि 06.02.2019 को पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर वे पाटन के पुलिस उपमंडल अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां सभी अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनके पिता के मामले के संबंध में उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे उनके सामने पूछताछ की जानी है।साक्षी ने बताया कि संजू वैष्णव से उनके सामने पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान बताई गई बातों को पुलिस स्टेशन प्रभारी अमित कुमार बेरिया ने दर्ज किया, जो वहां मौजूद थे और लिख रहे थे। इसी पूछताछ में आरोपी संजू ने बताया कि अपने पिता की हत्या करने के बाद शव को छिपाने के लिए वे खोरपा गांव के कोट्री खार गए और खेत में उनके शव को भूसे में जला दिया। उसने बताया कि वह अपने भाइयों, पुलिसकर्मियों और चार अन्य आरोपियों के साथ खोरपा सोनपुर नाले के पास कोट्री खार पहुंचा था। वहां जले हुए भूसे को हटाने पर मानव हड्डियों के टुकड़े, एक घोड़े की नाल और दो चांदी की अंगूठियां मिलीं। गवाह ने बताया कि जली हुई अंगूठियां उसके पिता की थीं। इस गवाह ने अपने पिता द्वारा इस्तेमाल किए गए टिफिन बॉक्स, जली हुई कलाई घड़ी, दवा की बोतलों और बैग के बकल की पहचान की और बताया कि ये चीजें उसके पिता इस्तेमाल करते थे। इस तथ्य की पुष्टि साक्षी अनिल कुमार देवांगन (पीडब्ल्यू–11) ने भी की है और उसने स्वीकार किया है कि उसने पंचनामा कार्यवाही पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें प्रदर्श पी–3 और पी–4 की पहचान की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

48. ज़ब्ती और ज्ञापन के एक अन्य साक्षी, पंचराम देवांगन, पीडब्ल्यू–4, ने अपने कथन में बताया है कि 06.02.2019 को बुलाए जाने पर वे एसडीओपी कार्यालय, पाटन गए थे। वहाँ चार लड़के बैठे थे, जिनमें आरोपी आकाश कोसारे और संजू वैष्णव भी मौजूद थे। साक्षी ने बताया कि पुलिस ने संजू वैष्णव से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने खोरपा गाँव के पास खेत में भूसे के ढेर में हरिप्रसाद जलाने की बात बताई। इस ज्ञापन (प्रदर्श पी–10) को पुलिस ने लिखा था। साक्षी ने (प्रदर्श पी–10) पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं।

49. इस बिंदु पर, अन्वेषण अधिकारी सहित दोनों साक्षी से आरोपी की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है। अन्वेषण अधिकारी अमित कुमार बेरिया से प्रतिपरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि संदिग्ध आरोपी के ज्ञापन के आधार पर उन्हें पता चला कि घटना स्थल खोरपा गांव में कौशल राव के खेत में स्थित कोठारी खार है।साक्षी के पास मौजूद ज्ञापन वक्तव्य (प्रदर्श पी.10), जो आरोपी संजू वैष्णव का है, और ज्ञापन वक्तव्य (प्रदर्श पी32), जो आकाश कोसारे का बताया जा रहा है, में "कोठारी खार, खोरपा कौशल राव गांव का खेत" का उल्लेख नहीं है। लेकिन अन्वेषण अधिकारी ने स्वयं कहा है कि यह स्थान कौशलनाला के पास है।

50.प्रदर्श पत्र संख्या 10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें सोनपुर नाले के पास एक खेत का उल्लेख है। ज्ञापन और ज़ब्ती के दोनों साक्षी ने बताया है कि जिस स्थान से हड्डियाँ और राख बरामद हुई हैं, वह खोरपनाला गाँव के पास का एक खेत है। उक्त स्थान का नक्शा (प्रदर्श पत्र संख्या 38) अमित कुमार बेरिया द्वारा तैयार किया गया बताया जाता है। प्रदर्श पत्र संख्या 38 को देखने से स्पष्ट है कि यह स्थान मुख्य सड़क से 250 मीटर अंदर है, जो पाटन से तारिघाट जाने वाला मार्ग है और सोनपुरनाला के पास स्थित है। यह एक कोठारीखार है जहाँ खेती की जाती है। निश्चित रूप से, यह कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है जहाँ हर व्यक्ति को जली हुई हड्डियों की मौजूदगी के बारे में पता चल सके। आरोपी के कहने पर ही उस स्थान से हड्डियाँ ज़ब्त की गई हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह एक कोठारीखार है जहाँ खेती की जाती है और यह वह स्थान नहीं है जहाँ जली हुई हड्डियाँ आसानी से उपलब्ध हों।

51. अन्वेषण अधिकारी ने अपनी अन्वेषण में कहा है कि उस भूसे के ढेर से तीन अंगूठियां और एक कंगन जब्त किए गए थे, जिनकी पहचान अनिल कुमार देवांगन ने की थी। उन्होंने बताया है कि उन्होंने पहचान पंचनामा (प्रदर्श पत्र –3) मौके पर ही तैयार किया था और उस पर स्वयं हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पत्र संख्या –3 के साक्षी अनिल कुमार देवांगन (पीडब्ल्यू–2) ने उक्त दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करते हुए कहा है कि जब उन्होंने भूसे के ढेर की जली हुई राख हटाई, तो उन्हें वहाँ एक घोड़े की नाल और दो चाँदी की अंगूठियाँ मिलीं। उन्होंने उन अंगूठियों की पहचान की क्योंकि वे उनके पिता की थीं और उनकी दुकान में बनी थीं। अतः, यह नहीं माना जा सकता कि उक्त ज्ञापन और ज़ब्ती अवैध हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

52. अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पूछताछ में बताया है कि उन्होंने जब्त की गई हड्डी के अवशेषों और जले हुए धान की लकड़ी की राख को सील करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। इस मामले में वरिष्ठ वैज्ञानिक अनुपमा मेश्राम से पूछताछ की गई है। अनुपमा मेश्राम (पीडब्ल्यू–15) ने अपनी पूछताछ में बताया है कि उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिलाई द्वारा 06.02.2019 को नेवाई पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 21/19 के स्थल निरीक्षण के बारे में फोन पर सूचित किया गया था। 06.02.2019 को सुबह 9.00 बजे ही वे घटना स्थल, खोरपा कोठारीखर गांव पहुंचीं और दुर्ग के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिलाई और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया। पुलिस, मिलाई और अन्य अधिकारी मौजूद थे। खेत मालिक कौशल राव, मृतक के परिवार के सदस्य और अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर उपस्थित थे। घटना स्थल खोरपा गांव में कौशल राव का खेत है।

53. अनुपमा मेश्राम (पीडब्ल्यू–15) ने अपने कथन में बताया कि खेत मालिक कौशल राव ने उन्हें बताया था कि धान की कटाई के बाद भूसा उनके खेत में ढेर के रूप में रखा जाता था। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मृतक के शव को इस ढेर पर रखकर जला दिया था। जली हुई भूसी की राख को सावधानीपूर्वक हटाने और लकड़ियों की जांच करने पर, हड्डियों के कई छोटे–छोटे जले हुए टुकड़े मिले। इन सभी को एक कार्टन बॉक्स में इकट्ठा किया गया। इसमें कोई बड़ी हड्डी नहीं मिली। जली हुई राख से मृतक की एक पत्थर जड़ी अंगूठी और एक सादी अंगूठी मिली, जिनकी पहचान मृतक के बेटों ने घटनास्थल पर ही कर ली। उन्होंने जांच अधिकारी को घटनास्थल से मिले आधे जले हुए हड्डियों के टुकड़े, अंगूठी, कार में मिले बाल आदि को उचित तरीके से पैक करके रायपुर मेडिकल कॉलेज और एफएसएल रायपुर भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने घटनास्थल के निरीक्षण के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की, जो प्रदर्शनी पी–46 है।

54. विचारण न्यायालय के समक्ष, अभियोजन पक्ष द्वारा फोरेंसिक मेडिकल विभाग की प्रमुख डॉ. स्निग्धा जैन (पीडब्ल्यू–16) से पूछताछ की गई। अपनी पूछताछ में उन्होंने बताया कि 07.02.2019 को उनके समक्ष विभाग में एक कपड़े का थैला लाया गया, जिसमें तीन सीलबंद थैले मिले। इनमें पाटन दुर्ग के मेडिकल ऑफिसर की सील लगे प्लास्टिक के जार थे और प्रत्येक पर दो सफेद लेबल लगे हुए थे। साक्षी ने अपनी पूछताछ में आगे बताया कि जांच के लिए प्राप्त सामग्री में से निम्नलिखित सामग्रियों के नमूने सुरक्षित रखे गए थे–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

01. डीएनए परीक्षण के लिए एक प्रीमोलर, एक मोलर, एक कैनाइन दांत और रेडियस और टैलस हड्डी का एक–एक टुकड़ा संरक्षित किया गया।

02. शेष सभी हड्डियों, राख, मिट्टी और भूसे को प्लास्टिक के जारों में सील करके रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल को भेज दिया गया। सभी संरक्षित वस्तुओं को सील करके, हस्ताक्षर करके और लेबल लगाकर संबंधित कांस्टेबल को सौंप दिया गया।

55. डॉ. स्निग्धा जैन (पीडब्ल्यू–16) की राय के अनुसार, सभी अस्थि–खंड एक ही पुरुष के हैं (जिनकी खोपड़ी और लंबी हड्डियाँ पहचानी जा सकती हैं)। केवल एक जोड़ का कुछ भाग मौजूद था, जिससे मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक पाई गई। सभी लंबी हड्डियों के टुकड़ों में छिद्र मौजूद थे। हड्डियों की खुरदरी बनावट के बारे में कोई राय नहीं दी गई है, क्योंकि अधिकांश हड्डियाँ आकार में छोटी थीं, खंडित थीं, जली हुई थीं और एक–दूसरे से जुड़ी नहीं थीं। मृत्यु के कारण के बारे में कोई राय नहीं दी गई है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता

कि जलने के निशान मृत्यु से पहले या मृत्यु के बाद मौजूद थे। गवाह ने अपनी रिपोर्ट (प्र पी–47) पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं।

56. उक्त फोरेंसिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य उजागर किया है कि अभियुक्त के ज्ञापन के आधार पर नाले के पास कोठारीखर खेत से जब्त किए गए जले हुए हड्डियों के टुकड़े मृतक के थे। हालांकि फोरेंसिक रिपोर्ट की गवाह डॉ. स्निग्धा जैन (पीडब्ल्यू16) ने अपनी स्पष्ट राय नहीं दी है, लेकिन उन्होंने पुष्टि की है कि सभी हड्डियों के टुकड़े एक ऐसे व्यक्ति के थे जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी।

57. उपर्युक्त सुझाव को अभियुक्त की ओर से जिरह के दौरान डॉ. स्निग्धा जैन (पीडब्ल्यू 16) के समक्ष रखा गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्हें जांच के लिए खोपड़ी की हड्डी का केवल एक ही टुकड़ा प्राप्त हुआ था। हालांकि साक्षी ने टांका की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि या कमी की संभावना को स्वीकार किया है, लेकिन यह मात्र सुझाव इस तथ्य को गलत साबित नहीं करता कि टांका के आधार पर उनके द्वारा दी गई यह राय कि हड्डियां एक मानव की हैं और उस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक है, सही नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

58. उपरोक्त अन्वेषण से यह स्पष्ट है कि आरोपी के ज्ञापन के आधार पर कौशल राव के कोठारीखर फार्म से हड्डियों के टुकड़े जब्त किए गए थे। इन टुकड़ों की फोरेंसिक जांच के बाद पता चला कि ये टुकड़े एक मानव के थे और उस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक थी। अब इस मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त व्यक्ति मृतक हरिप्रसाद ही है?

59. इस मामले में, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की डीएनए इकाई की रिपोर्ट, प्रदर्श C–1 प्रस्तुत की गई है। हालांकि उक्त दस्तावेज़ को गवाह को बुलाकर पेश नहीं किया गया है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत, रासायनिक परीक्षक को साक्ष्य के लिए उपस्थित होने से छूट प्राप्त है, अर्थात्, उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ तब तक साक्ष्य में स्वीकार्य है जब तक कि दूसरा पक्ष उस गवाह को बुलाकर उसका खंडन करने के लिए आवेदन न करे। इस मामले में, आरोपी द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है और वरिष्ठ वैज्ञानिक रासायनिक परीक्षक को साक्ष्य के लिए न बुलाने का अनुरोध किया गया है।

60.प्रदीप ने बयान दिया है कि वह दुर्ग के जिला अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत है। उसने अनंत कुमार और सतीश कुमार देवांगन के रक्त के नमूने डीएनए परीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति में लिए और उन्हें एक बोतल में सील कर दिया, जिसे पुलिस ने ज़ब्ती ज्ञापन (प्र पी–42) के अनुसार ज़ब्त कर लिया। गवाह कुंदनलाल (पीडब्ल्यू–18) ने अपने कथन में इस तथ्य की पुष्टि की है और प्र पी. 42 पर अपने हस्ताक्षर

स्वीकार किए हैं तथा कहा है कि ज़ब्ती डॉ. चंद्रकार से की गई थी। साक्षी कुंदनलाल (पीडब्ल्यू–18) ने अपनी गवाही में इस तथ्य को स्वीकार किया है और प्रदर्श पत्र संख्या 42 पर अपने हस्ताक्षर होने की बात भी मानी है। उन्होंने कहा है कि डॉ. चंद्रकार से नमूने जब्त किए गए थे। जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें पुलिस स्टेशन से सीधे कोई लिखित शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने बताया कि नेवाई पुलिस स्टेशन द्वारा सिविल सर्जन को एक पत्र लिखा गया था और सिविल सर्जन के माध्यम से उन्हें रक्त का नमूना लेने का निर्देश दिया गया था।

61. प्रदर्श सी–1 की परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि डीएनए प्रोफाइल उपलब्ध न होने के कारण कोई निश्चित परिणाम नहीं दिया जा सकता। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि डीएनए परीक्षण के लिए सिर के बालों के साथ रक्त के नमूने भी भेजे गए थे।

62. जहां तक आरोपी के इस आरोप का संबंध है कि आरोपी के बताए अनुसार जब्त की गई हड्डियों को डीएनए परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था, डीएनए प्रोफाइल तैयार न होने के कारण कोई निर्णायक परिणाम न मिलने के आधार पर पूरी परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

63. आपराधिक मामलों में, यद्यपि अपराध के आरोप को साबित करने के लिए संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित साक्ष्य का खुलासा करना आवश्यक है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहां न्यायालय ने शव बरामद न होने या पहचान न होने पर भी मृत्युदंड सुनाया है। वहाँ न्यायालय को ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्थापित करना होगा और ऐसे अनुमान लगाए जाने चाहिए जिन्हे खंडित नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1963 (3) SCR 239** मामले में यह निर्णय दिया है कि जो परिस्थितियाँ न्यायालय के सामने रखी गई हैं, उन्हें कोर्ट द्वारा साबित किया जाना चाहिए। ये परिस्थितियाँ केवल इस बात की ओर इशारा करती थीं कि हत्या आरोपी द्वारा ही की गई थी। हत्या के मामलों में, "कॉर्पस डेलिक्टि" (अपराध के मूल तत्व) के सभी तत्वों को साबित करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। मृतक की मृत्यु के तथ्य को अन्य परिस्थितियों की तरह ही साबित किया जाना चाहिए। कई मामलों में, "कॉर्पस डेलिक्टि" को साबित करना मुश्किल होता है। यदि ज़ोर हमेशा शव की बरामदगी पर ही दिया जाए, तो आरोपी हत्या के बाद शव को नष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा और दंड से पूरी तरह बच निकलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि इसलिए, हत्या के मामले में, दंड ऐसे सबूतों पर आधारित होनी चाहिए जो कोर्ट में स्वीकार्य हों। यह प्रत्यक्ष और

परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर किया जाना चाहिए, भले ही मृतक का शव बरामद न हुआ हो। इस संबंध में, डेली एडमिनिस्ट्रेशन बनाम त्रिभुवन नाथ, 1996 (8) SCC 250 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उल्लेखनीय है। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे भड़क उठे थे, तब एक सिख की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को जलाकर पास ही बह रही एक नाली में फेंक दिया गया था। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि "कॉर्पस डेलिक्टि" का पेश न किया जाना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं था।

64. अब यह विचार करना होगा कि आरोपी किस प्रकार अपराध में संलिप्त हैं और क्या जलाए गए शव की हड्डियाँ मृतक हरिप्रसाद की हैं। इस संबंध में अभियोजन पक्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मृतक को आखिरी बार आरोपियों के साथ कब देखा गया था।

65. इस बिंदु पर, डोमर साहू, पीडब्ल्यू–5, ने अपने कथन में कहा है कि गुमशुदा व्यक्ति के मामले के बाद, 19.01.2019 को जांच के दौरान, जब उन्हें सूचना मिली कि पाटन में हरिप्रसाद देवांगन की दुकान का शटर खुला था और सामान चोरी हो गया था और जब हरिप्रसाद देवांगन की साइकिल रिसाली सेक्टर में क्षतिग्रस्त हालत में मिली और आनंद देवांगन ने अपहरण के संदेह में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो उन्होंने अपराध संख्या 21/2019 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) (एक्स पी/ –13) दर्ज कराई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

66. साक्षी डोमर साहू (पीडब्ल्यू–5) ने अपने कथन में आगे बताया कि 20.01.2019 को, लापता व्यक्ति हरिप्रसाद की साइकिल रिसाली सेक्टर में मिलने की सूचना मिलने पर, वह रिसाली सेक्टर ब्लॉक संख्या 321 गए, जहाँ पड़ी साइकिल की पहचान गवाह वीरेंद्र देवांगन और सतीश देवांगन ने हरिप्रसाद की साइकिल के रूप में की। गवाह ने बताया कि उक्त साइकिल की सीट के नीचे एक भूरे रंग का कपड़ा देखकर उन्होंने लापता व्यक्ति की पहचान की। उक्त साइकिल की पहचान आनंद, पुत्र इसान ने की, जिसका पहचान पंचनामा प्रदर्श पृष्ठ–2 है। गवाह ने प्रदर्श पृष्ठ–2 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं और बताया है कि उन्होंने प्रदर्श पृष्ठ–15 के ज़ब्ती ज्ञापन के अनुसार साक्षीयों के सामने रिसाली सेक्टर में मौके पर ही उक्त साइकिल को ज़ब्त कर लिया था।

67. प्रतिपरीक्षा के दौरान, आरोपी ने यह सुझाव दिया है कि प्रदर्श पी–12 सी (जो गुमशुदा व्यक्ति की सूचना की डायरी है) में साइकिल के हीरोजेट गोल्ड ग्रीन रंग की, 22 इंच लंबी और सीट के पीछे धूसर कपड़ा होने का कोई उल्लेख नहीं है, जिसे साक्षी ने स्वीकार किया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि 20.01.2019 को कोई भी नेवाई पुलिस स्टेशन नहीं आया और धारा 365 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। लेकिन साक्षी ने स्पष्ट

किया है कि घटना के दूसरे दिन, हरिप्रसाद देवांगन की दुकान का शटर खुला पाए जाने और साइकिल के लावारिस हालत में पाए जाने की सूचना पर संदेह होने पर, उसने गुमशुदा व्यक्ति के बेटे के लिखित अनुरोध पर प्रदर्श पी–13 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि प्रदर्श पी–13 में सूचना देने वाले का नाम नहीं है, लेकिन केवल इसी आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि साइकिल निर्धारित स्थान से जब्त नहीं की गई थी।

68.जहाँ तक मृतक की साइकिल का सवाल है, साक्षी अनिल कुमार देवांगन (पी डब्लू–11) ने अपने कथन में बताया है कि उन्हें रिसाली सेक्टर में रखी एक साइकिल के बारे में जानकारी मिली थी। वहाँ साइकिल को ज़ब्त कर लिया गया और उनके भाई अनंत देवांगन ने उसकी पहचान की। अनंत देवांगन (पी डब्लू–2) ने अपनी मुख्य गवाही में इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि उन्हें फ़ोन पर जानकारी मिली थी कि रिसाली सेक्टर के पास एक साइकिल मिली है और उसकी पहचान करनी है। तब वे अपने भाइयों के साथ नेवई पुलिस स्टेशन गए और पुलिस के साथ उस जगह पर गए जहाँ साइकिल मिली थी, यानी रिसाली सेक्टर ब्लॉक नंबर 321। वह साइकिल एक पेड़ के पास पड़ी थी। उस पर 'Herojet' लिखा था और वह हरे रंग की साइकिल थी। गवाह ने साफ़ तौर पर कहा है कि उन्होंने सीट के नीचे रखे भूरे रंग के कपड़े की वजह से उसे अपने पिता की साइकिल के तौर पर पहचाना, क्योंकि उनके पिता साइकिल को सिर्फ़ भूरे रंग के कपड़े से ही पोंछा करते थे। गवाह ने प्रदर्श पी–2 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। क्रॉस–एग्ज़ामिनेशन में, हालाँकि उन्होंने यह माना है कि 'Herojet' 22 इंच की साइकिल बाज़ार में हरे रंग में आसानी से मिल जाती है, फिर भी यह एक आम बात है कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ खरीदता है और वह या उसके परिवार के सदस्य लंबे समय तक उस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, तो वे कई मिलती–जुलती चीज़ों के बीच अपनी चीज़ों को आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ परिवादी ने साफ़ तौर पर कहा है कि उनके पिता साइकिल को सीट के नीचे रखे भूरे कपड़े से पोंछा करते थे। यह निश्चित रूप से साइकिल की एक अनोखी पहचान का संकेत है।

69. आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पहचान की कार्यवाही पुलिस की उपस्थिति में की गई थी, जो मान्य नहीं है। अनंत देवांगन (पी डब्लू–2) ने पहचान की कार्यवाही के दौरान पुलिसकर्मियों की उपस्थिति स्वीकार की है, लेकिन केवल इसी आधार पर उनके द्वारा की गई पहचान की कार्यवाही को दूषित नहीं माना जा सकता है। वैसे भी, साइकिल की ज़ब्ती आरोपी की पहचान के आधार पर नहीं की गई है, इसलिए सार्वजनिक स्थान से बरामदगी उसकी बरामदगी को दूषित नहीं करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

70.मामले में अब तक मिले सबूतों के विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि रिसाली सेक्टर ब्लॉक नंबर 321 से जब्त की गई वस्तुएं इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक को आरोपी के साथ अंतिम बार देखे जाने के सबूत पेश किए गए हैं, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस संबंध में गवाह गौरव स्वर्णकार (पीडब्ल्यू–3) की परीक्षा की गई है। गौरव स्वर्णकार (पीडब्ल्यू–3) ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि घटना वाले दिन शाम करीब 7–8 बजे वह अपने दोस्त सत्यजीत रावत के साथ शीतला मंदिर के पास दोपहिया वाहन बुलेट पर चाय पीने जा रहे थे। उसी दौरान उनके दोस्त ने बताया कि किसी को चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी है। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार रुक गई थी और साइकिल सवार को कार ने टक्कर मार दी थी। कार में से कुछ लोगों ने जवाब दिया और साइकिल से गिरे व्यक्ति को उठाकर कार में बिठा दिया। बताया गया है कि वह और उनका दोस्त ड्राइवर की सीट पर बैठे थे। कार के ड्राइवर ने बताया था कि वे साइकिल चलाने वाले को अस्पताल ले जा रहे हैं। उसके बाद उसने साइकिल उठाई और उसे ब्लॉक के सामने रख दिया। गवाह ने बताया है कि साइकिल टूटी–फूटी हालत में थी। बाद में पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसे कुछ लोगों की तस्वीरें पहचानने के लिए कहा। साक्षी ने पहचान पत्र एक्स पी/ –9 पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है। हालाँकि इस साक्षी ने अपने सामने किसी भी कार्रवाई से इनकार किया है, लेकिन पूछे जाने पर उसने साफ़ तौर पर स्वीकार किया है कि घटना के दिन जिस कार ने साइकिल चलाने वाले को टक्कर मारी थी, वह एक KUV थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना के बाद उसने अपने दोस्त सत्यजीत से कहा था कि गाड़ी तेज़ चलाओ, चलो देखते हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब वे कार के पास पहुँचे, तो कार का ड्राइवर सिगरेट पी रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने दोस्त से यह भी कहा था कि दुर्घटना करने के बाद भी ड्राइवर कितनी आराम से सिगरेट पी रहा है।इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि घायल बुज़ुर्ग व्यक्ति को कार के पीछे बैठे लोगों ने उठाकर कार में बिठाया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उस समय वे 112 नंबर पर कॉल करने ही वाले थे, लेकिन कार के ड्राइवर ने उनसे कहा कि कॉल न करें, वे उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। पहचान की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह पार्षद राजू मंडावी को जानता है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे पार्षद के दफ़्तर बुलाया गया था और उसे 4–5 लोगों की तस्वीरें दिखाई गई थीं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने उन तस्वीरों में से उस व्यक्ति की तस्वीर पहचान ली, जो दुर्घटना के दिन साइकिल चला रहा था। उसी तस्वीर के संबंध में, पहचान मेमो एक्स पी/–9 तैयार किया गया था, जिस पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसने हस्ताक्षर किए थे। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पहचान की प्रक्रिया के दौरान उसका दोस्त सत्यजीत रावत भी वहाँ मौजूद था, और इस संबंध में पूछताछ करने के बाद उसका बयान भी लिया गया था।

71.अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि साइकिल चला रहे व्यक्ति की तस्वीर अखबार में कई बार छपी थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे नेवाई पुलिस स्टेशन में बयान देने के लिए कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया था। 'आखिरी बार देखे जाने' (last seen) का एक अन्य गवाह, सत्यजीत रावत (पी डब्लू–6) ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि यह घटना जनवरी 2019 के महीने में हुई थी। घटना के दिन, लगभग 7 बजे, जब वह अपने दोस्त गौरव स्वर्णकार के साथ चाय पीने के लिए शीतला मंदिर, मरोड़ा जा रहा था, तो उसने देखा कि शीतला मंदिर से कुछ पहले एक कार दुर्घटना हो गई थी। गवाह ने बताया है कि उन्होंने देखा कि कार चालक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी। जब वे दुर्घटना स्थल पर पहुँचे, तो कार वहीं खड़ी थी। उन्होंने कार चालक को रोका और कार से चाबियाँ ले लीं। गवाह ने बताया है कि उसी समय कार की पिछली सीट पर बैठे दो लोग नीचे उतरे, दुर्घटना में घायल साइकिल सवार को उठाया, उसे कार में रखा और कहा कि वे उसे अस्पताल ले जाएँगे। कार में बैठने के बाद, उन लोगों ने कहा कि उनसे गलती हो गई है, वे उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, इसलिए उन्हें चाबियाँ दे दें। गवाह ने आगे बताया कि तब उसने उन लोगों को कार की चाबियाँ दे दीं और घायल बुजुर्ग की साइकिल को दुर्घटना स्थल के सामने स्थित BSP क्वार्टर के सामने रख दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

72. अपनी प्रतिपरीक्षा में, साक्षी सत्यजीत रावत (पी डब्लू–8) ने कहा है कि उन्हें आगे की किसी भी कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्स पी/–9 के पहचान मेमो पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है। अभियोजन पक्ष द्वारा पूछे जाने पर, इस महत्वपूर्ण स्वतंत्र गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि जब वे दुर्घटना के बाद मौके पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि कार चालक सिगरेट पी रहा था। जिस पर उसके दोस्त गौरव स्वर्णकार ने उससे कहा था कि वह दुर्घटना के बाद भी आराम से सिगरेट पी रहा है। यह भी बताया गया है कि उसने चालक से पूछा था कि वह किस तरह से गाड़ी चला रहा था। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वे मौके पर पहुँचे, तो घायल व्यक्ति कराह रहा था। इस गवाह ने स्वीकार किया है कि जब उसने 112 पर कॉल करने के लिए कहा, तो कार चालक ने हाथ जोड़कर कहा, "कॉल मत करो, हम इसे अस्पताल ले जा रहे हैं।"

73. साक्षी सत्यजीत राव, पीडब्ल्यू 8, ने भी स्वीकार किया है कि वह वार्ड पार्षद राजू मांडवी को पहचानते हैं। 3 मई 2019 को जब उन्हें पहचान प्रक्रिया के लिए मारोदा स्थित पार्षद कार्यालय में बुलाया गया, तो फोटो देखने के बाद उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना के दिन घायल हुए व्यक्ति की फोटो है। इस प्रक्रिया के दौरान गौरव स्वर्णकार की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए, साक्षी ने पहचान प्रक्रिया के दस्तावेज़ (एक्स पी/–9) पर उनके हस्ताक्षर स्वीकार किए, जिसे पार्षद द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया गया था।

74.प्रतिपरीक्षा के दौरान, आरोपी की ओर से इस साक्षी से पूछा गया कि लापता व्यक्ति के पोस्टर विभिन्न स्थानों पर लगाए गए थे और नेवाई पुलिस ने पहचान से पहले उन्हें पोस्टर दिखाए थे। इस साक्षी से यह भी पूछा गया कि उन्हें केवल एक ही तस्वीर दिखाई गई थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीरें दिखाई गई थीं।

75. राजू मडावी (पीडब्ल्यू–17), जिन्होंने पहचान की कार्यवाही करवाई थी, ने मुख्य परीक्षण में एक्स पी/–9 पर अपने हस्ताक्षर होने की बात तो स्वीकार की है, लेकिन कहा कि उन्हें कार्यवाही याद नहीं है क्योंकि यह 3 साल पुरानी बात है। पूछे जाने पर, उन्होंने स्वीकार किया कि उनका पार्षद कार्यालय मोहरी मरोदा वार्ड नंबर 44 में स्थित है। यह कार्यवाही 03.05.2019 को उनके पार्षद कार्यालय में हुई थी। उस दिन, पार्षद कार्यालय में एक व्यक्ति की तस्वीर लाई गई थी, जिसकी पहचान वहाँ मौजूद गवाहों ने की थी। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि पहचान की कार्यवाही के दौरान, जिन लोगों ने पहचान की थी, उन्होंने तस्वीर देखने के बाद कहा था कि वह तस्वीर मृतक हरिप्रसाद देवांगन की है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पहचान की कार्यवाही के दौरान, आरोपी सत्यजीत रावत, गौरव स्वर्णकार आदि वहाँ मौजूद थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पार्षद कार्यालय में तस्वीर की पहचान करने के बाद, एक्स पी/–9 का पहचान पंचनामा उनकी अपनी लिखावट में तैयार किया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पहचान की कार्यवाही के बाद, वहाँ मौजूद सभी लोगों के हस्ताक्षर उन्होंने लिए थे और पहचान पंचनामा तैयार करने के बाद, उन्होंने वह दस्तावेज़ पुलिस को सौंप दिया था। गवाह ने कहा कि पहचान की कार्यवाही से पहले, नेवई के थाना प्रभारी ने उन्हें पहचान के लिए एक्स पी/–48 का एक नोटिस जारी किया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं, और पहचान की कार्यवाही के दौरान, साक्षीयो को सूचना जारी की गई थी, जिसकी पावती उन्हें दी गई थी।

76. पहचान की कार्यवाही के तीनों साक्षीयो ने पुलिस स्टेशन में हस्ताक्षर करने की बात कही है और यह स्वीकार किया है कि वे मृतक या अन्य गवाहों को पहले से किसी भी तरह से नहीं जानते थे। कई बार ऐसा होता है कि जब

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्षी न्यायालय में पेश होते हैं, तो वे परीक्षा और जिरह में पूछे गए सवालों को ठीक से समझ नहीं पाते और उनका जवाब नहीं दे पाते है। किसी भी साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि पहचान की कार्यवाही के दौरान जिस व्यक्ति की उन्होंने पहचान एक बुजुर्ग के रूप में की थी, वह वह साइकिल सवार नहीं था, जिसके बारे में वे कह रहे हैं कि घटना के दिन उसकी कार से टक्कर हुई थी। आरोपी की ओर से किया गयी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे मृतक या उसके परिवार को पहले से नहीं जानते थे। ऐसी स्थिति में, इसका क्या कारण हो सकता है कि वे उस व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि वही मृतक है? आरोपी की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अतः, अभियोजन पक्ष की पहचान की कार्यवाही को केवल इस आधार पर दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता कि मृतक की तस्वीर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।

77. ऐसे मामले में, ऊपर दिए गए सबूतों से यह साफ़ हो जाता है कि घटना के दिन, मृतक हरिप्रसाद का रिसाली सेक्टर में एक कार से दुर्घटना हो गया था, जब वह साइकिल चला रहे थे। कार के ड्राइवर और उसमें बैठे लोगों ने उस अहम साक्षी को, जिसने उन्हें आखिरी बार देखा था, बताया था कि वे बुज़ुर्ग हरिप्रसाद को कार में बिठाकर अस्पताल ले गए थे। इन साक्षी ने यह साफ़ किया है कि उन्होंने घायल हरिप्रसाद की साइकिल को, जो कि टूटी–फूटी हालत में थी, उठाकर ब्लॉक के सामने रख दिया था।इस मामले में, एक्स पी/–.14 का नक्शा पेश किया गया है। गवाह डोमर साहू (पी डब्लू –5), जिसने उस जगह से साइकिल ज़ब्त की थी, ने अपनी जाँच में बताया है कि उसने साक्षी के सामने रिसाली सेक्टर के ब्लॉक नंबर 321 से साइकिल ज़ब्त की थी। यह साइकिल मृतक हरिप्रसाद की थी, जिसकी पहचान उनके बेटे ने की है और उसे प्रमाणित भी किया है। साक्षी ने एक्स पी/–14 के नक्शे को उस जगह पर बनाया हुआ प्रमाणित किया है, जहाँ हरिप्रसाद की साइकिल मिली थी, और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। एक्स पी/–14 के नक्शे की जाँच करने पर यह स्पष्ट है कि जिस जगह पर दुर्घटना हुई थी, वह शीतला मंदिर के पास है और वहाँ से मरोदा से रिसाली बस्ती की ओर जाने वाली एक सड़क है। इसी जगह पर दुर्घटना होने की पुष्टि साक्षीयों गौरव स्वर्णकार (पी डब्लू –3) और सत्यजीत रावत (पी डब्लू –6) ने की है, जिन्होंने इसे आखिरी बार देखा था। इन दोनों गवाहों ने पूरी दृढ़ता से बयान दिया है कि उन्होंने क्षतिग्रस्त साइकिल को उठाया था और उसे सामने वाले ब्लॉक में रख दिया था, और ज़ब्ती की कार्यवाही उसी जगह से की गई थी। ऐसी स्थिति में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में एक और कड़ी यह जुड़ती है कि मृतक हरिप्रसाद की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साइकिल के साथ दुर्घटना टक्कर लगने के कारण हुई थी, और मृतक को कार में सवार लोगों द्वारा उसी कार में ले जाया गया था।

78. नीलेश तिवारी (पी डब्लू–8) ने अपनी गवाही में कहा है कि वह आरोपी संजू वैष्णव को जानता है। उसके पिता, स्वर्गीय कौशल प्रसाद तिवारी ने संजू वैष्णव को साइट और फील्ड के काम के लिए ड्राइवर के तौर पर रखा था। उसके पिता का निधन 06.05.2018 को हो गया था। उसके पिता के नाम पर एक महिंद्रा KUV-100 मेटैलिक रंग की कार थी, जिसका नंबर CG 04 LJ–9533 था। पिता की मृत्यु के बाद वह उस कार का इस्तेमाल कर रहा है। गवाह ने बताया कि घटना के समय वह बाहर था और आरोपी आया, उसने उसके परिवार से बात की और यह कहकर गाड़ी ले गया कि वह उसे अपने परिवार के पास ले जा रहा है; 3–4 दिन बाद वह गाड़ी वापस ले आया और उसे उसके घर पर पार्क कर दिया। साक्षी ने कहा कि कुछ दिनों बाद पुलिस आई और उससे पूछताछ की, तब उसने पुलिस को बताया कि संजू वैष्णव कार ले गया था। उसने गवाह नोटिस एक्स पी/–19, कार तलाशी पंचनामा एक्स पी/–20, और ज़ब्ती मेमो एक्स पी/–21, 22 पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की। अभियोजन पक्ष द्वारा पूछे जाने पर, उसने स्वीकार किया कि संजू वैष्णव 2017 से उसके पिता की कार चला रहा था। हालाँकि साक्षी ने कहा कि उसे ठीक से याद नहीं है कि संजू 06.01.2019 को कार ले गया था और 07.01.2019 को वापस लाया था, या फिर 15.01.2019 को ले गया था और 20.01.2019 को वापस लाया था; लेकिन उसने अपनी ओर से यह बयान दिया कि 16.01.2019 को आरोपी संजू उसकी कार ले गया था। इस साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसकी कार ज़ब्त कर ली थी। पहले तो इस साक्षी ने कार में बालों के टुकड़े मिलने की बात से इनकार किया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि कार में बालों के जो छोटे–छोटे सफ़ेद टुकड़े मिले थे, उन्हें पुलिस ने एक्स पी/–22 के अनुसार ज़ब्त कर लिया था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस ने किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला था।

79. प्रतिपरीक्षा के दौरान, नीलेश तिवारी (पी डब्लू–8) ने यह स्वीकार किया है कि उनकी कार के.डी. तिवारी के नाम पर नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 15.01.2019 को वे दिल्ली में थे; लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या 15.01.2019 को संजू वैष्णव ने विवाह में शामिल होने के लिए बिलासपुर जाने हेतु उनसे कार नहीं मांगी थी, तो गवाह ने जवाब दिया कि संजू ने कार उनकी माँ से मांगी थी, और माँ ने उनसे (साक्षी से) पूछने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के बाद कार संजू वैष्णव को दे दी थी। इस तथ्य पर बहस करते हुए, आरोपी के वकील ने कहा कि दं. प्र. सं. कि धारा 161 के तहत दिए गए अपने बयान में, गवाह ने कहा था कि संजू ने उनसे (साक्षी से) किराए पर गाड़ी मांगी थी, जबकि न्यायालय के सामने उन्होंने कहा है कि संजू ने गाड़ी उनकी माँ से मांगी थी। लेकिन केवल इस एक विसंगति के आधार पर, इस गवाह का पूरा बयान अविश्वसनीय नहीं हो जाता है। इस गवाह के बयानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 15.01.2019 को, आरोपी संजू वैष्णव ने नीलेश तिवारी की कार KUV 100 (जो महिंद्रा कंपनी की थी) किराए पर ली थी। गवाह गौरव स्वर्णकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जिस कार से साइकिल सवार मृतक हरिप्रसाद को टक्कर मारी गई थी, वह एक KUV थी। वाहन के परीक्षक महावीर गेंड्रे (पी डब्लू–12) ने अपनी जांच में बताया है कि 06.02.2012 को, नेवई पुलिस थाना से बुलाए जाने पर, वे नेवई पुलिस थाना गए और महिंद्रा कंपनी के वाहन CG 04 LJ–9533 की जांच की। वाहन के फ्रंट डैशबोर्ड पर एक खरोंच थी और उसका पैनल दब गया था। वाहन चालू हालत में था और उसमें कोई खराबी नहीं थी। साक्षी ने एक्स पी/45 पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

80. इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृतक को आखिरी बार उस कार में ले जाते हुए देखा गया था, जिसे आरोपी संजू वैष्णव ने घटना के दिन नीलेश तिवारी से किराए पर लिया था। इस सिद्धांत के आधार पर, आरोपी की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह बताए कि उसे आखिरी बार देखे जाने के बाद क्या हुआ था। आरोपी की ओर से किसी भी परिस्थिति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस मामले में यह साबित हो गया है कि उसकी निशानदेही पर हड्डियों के जले हुए टुकड़े बरामद किए गए थे, और उनके साथ ही मृतक हरिप्रसाद द्वारा पहनी गई अंगूठी, उसकी घड़ी, टिफिन आदि भी ज़ब्त किए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य भी साबित कर दिया है कि आरोपी संजू वैष्णव घटना के दिन नीलेश तिवारी की महिंद्रा कार लेकर आया था। हरिप्रसाद, जो साइकिल से जा रहा था, उस कार की चपेट में रिसाली सेक्टर स्थित शीतला मंदिर के पास आ गया था। आखिरी बार देखने वाले साक्षी ने भी यह साबित किया है कि जिस साइकिल सवार को उक्त महिंद्रा कार ने टक्कर मारी थी, वह मृतक हरिप्रसाद ही था।आरोपी द्वारा इस परिस्थिति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि घटना के दिन, जब वे महिंद्रा कार में थे और जब हरि प्रसाद को अस्पताल ले जाने के लिए कार में बिठाया गया था, तब हरि प्रसाद द्वारा उपयोग की गई वस्तुएँ और हड्डियों के जले हुए अवशेष कोठारीखार स्थित खेत तक कैसे पहुँचे?

81. बहस के दौरान, आरोपी के वकील ने यह भी कहा कि अंतिम बार देखे जाने के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, जब तक कि मृत्यु हत्या साबित न हो जाए। यदि हम वर्तमान मामले पर विचार करें, तो इस मामले में भूसे के ढेर में एक मानव की जली हुई हड्डियाँ मिली हैं, जिसकी पहचान अभियोजन पक्ष ने मृतक हरिप्रसाद के रूप में स्थापित की है। निश्चित रूप से, भूसे के ढेर में किसी व्यक्ति को जलाकर राख कर देने की स्थिति को हत्या से अलग नहीं माना जा सकता है।

82. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से आरोपी की पहचान के आधार पर बरामदगी पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है और परिस्थितियों की कड़ी भी साक्ष्यों से जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में, आरोपी को इसका लाभ नहीं मिलता है।

83. इस मामले में, आरोपी की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि हत्या का कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया है। उद्देश्य एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें अपराध करने वाला व्यक्ति सबसे सटीक तरीके से बता सकता है कि उसने अपराध क्यों किया, लेकिन अपराध करने वाले आरोपी से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हत्या के मामलों में, कई बार उद्देश्य का सबूत नहीं मिलता है, लेकिन यह अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

84. ऐसी स्थिति में, अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध उल्लिखित सभी परिस्थितियों को संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि घटना वाले दिन अभियुक्तों ने मृतक हरिप्रसाद को कार से टक्कर मारकर गिरा दिया, उसके बाद कार में उसका अपहरण किया और उसकी आभूषण की दुकान में लूटपाट की। अभियुक्तों ने हरिप्रसाद की हत्या कर दी और फिर साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से उसके शव को कौशल राव के खेत में भूसे के ढेर में जला दिया और उसका सामान भी जला दिया। अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 120 बी के तहत भी दोषी ठहराया गया है। इस मामले में, मृतक हरिप्रसाद के अपहरण और हत्या में सभी की संलिप्तता और फिर साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से उसके शव को कौशल राव के खेत में भूसे के ढेर में जलाने और उसका सामान जलाने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, और यह भी कि लूटे गए सामान को सभी अभियुक्तों ने आपस में बांट लिया था।

85. उपरोक्त विश्लेषण से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है और विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के अपराध के संबंध में निर्णय देने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है।

86. तदनुसार, अपील सार हीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

87. आरोपी/अपीलकर्ता जेल में हैं। वे दिनांक 24.02.2021 के दोषसिद्धि और दंड के आदेश के माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दंड को पूरा करेंगे।

88. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मामले के मूल अभिलेख सहित संबंधित निचली अदालत को आवश्यक सूचना और अनुपालन के लिए तुरंत भेजे और साथ ही इस निर्णय की एक प्रति उस जेल के संबंधित अधीक्षक को भी भेजे जहां अपीलकर्ता अपनी दंड भोग रहे हैं, ताकि उन्हें यह सूचित किया जा सके कि वे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

सही/–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

हेड नोट :––

हत्या के प्रकरण में, दोषसिद्धि ऐसे साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए जो न्यायालय में स्वीकार्य हों और यह प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर की जानी चाहिए, भले ही शव बरामद न हुआ हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur